पत्र सं०- को०प्र०/स्था०-23/2012................../वि०(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

आर० के० खंडेलवाल,
सचिव (संसाधन) ।

शाहनवाज 10/12

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-..............................

विषयः- **Intensive Training Programme for All** के तहत **Government Accounts & Financial Procedure** विषय पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों का जिला में प्रशिक्षण के संबंध में ।

प्रसंगः- महानिदेशक, बिपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना का पत्रांक 1654 दिनांक 28.11.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रश्नगत विषयवस्तु से संबंधित प्रमण्डल/जिला स्तर पर सम्पन्न कराये जाने वाले विस्तृत कार्यक्रम महानिदेशक, बिपार्ड के उपर अंकित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है । प्रशिक्षण कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सम्पन्न कराने की कार्रवाई की जाय । उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, उन विशेष परिस्थितियों में जिसका वर्णन प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया गया है, प्रशिक्षण की तिथि में परिवर्तन कर सकते हैं । प्रशिक्षण के पूर्व, प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रशिक्षण के बाद किये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निदेश वित्त विभागीय पत्रांक 9619 दिनांक 10.09.2012 द्वारा दिया जा चुका है । प्रशिक्षण से संबंधित सारे कार्यक्रम का समन्वयन बिपार्ड के स्तर पर किया जा रहा है । अतः इस संदर्भ में किसी प्रकार के मार्ग दर्शन की आवश्यकता हो तो बिपार्ड से सम्पर्क किया जा सकता है ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(आर० के० खंडेलवाल)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक - ....16638.. पटना, दिनांक-..........11/12/12.........

प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना- 801505 को उनके पत्रांक 1654 दिनांक 28.11.2012 एवं वार्त्ता के आलोक में अल्प संशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आर० के० खंडेलवाल)
सचिव (संसाधन) ।

sec36/3/draft2